न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः डॉ.रविन्द्र गोस्वामी, I.A.S.

प्रकरण संख्या –78 / 2016 (आवन्टन निरस्तीकरण)

GCMS No. 2016 / 00434

सरकार जर्ये तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा —–प्रार्थी.

बनाम

बाला आत्मज मांगीलाल जाति रेगर निवासी मोडक —–अप्रार्थी.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अंतर्गत आवंटन निरस्त करने बाबत् ।

उपस्थित–

1. पेरोकार सरकार

निर्णय

दिनांकः– 10 / 12 / 2024

1. प्रकरण के सम्बन्ध में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार आवंटी अप्रार्थी को ग्राम फतेहपुर के आराजी खसरा नम्बर 448 रकबा 1.62 हे0 भूमि दिनांक 27.12कृ1975 को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी । पटवारी रिपोर्ट अनुसार आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा नहीं होने तथा आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की जाने से अप्रार्थी को किये गये उक्त आवंटन को आवंटन नियम 14(4) के तहत खारिज कराने हेतु प्रकरण इस न्यायालय में पेश किया गया।
2. प्रकरण पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी आवंटी की तलबी हेतु नोटिस जारी किया गया । अप्रार्थी की ओर से अभिभाषक श्री महेन्द्र सोनी का वकालतनामा पेश हुआ । वकील अप्रार्थी काफी लम्बे समय से अनुपस्थित है, ओर ना ही वकील अप्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत किया है । जवाब बन्द किया जाता है, अप्रार्थी के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर पेरोकार सरकार की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।
3. पेरोकार सरकार द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया है कि अप्रार्थी को ग्राम फतेहपुर तह0 रामगंजमण्डी की आराजी खसरा नम्बर 448 रकबा 1.62 हे0 भूमि कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन की गई थी । आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना में कब्जा काश्त नहीं कर आवंटन शर्तो का उल्लंघन किया है । अप्रार्थीगण को नोटिस तामिल होने के बावजूद उपस्थित नहीं होने से यह जाहिर हो रहा है कि अप्रार्थीगण का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है । अतः अप्रार्थी द्वारा आवंटन शर्तो की अवहेलना की जाने से तहसीलदार रामगंजमण्डी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के हक में किया गया आवंटन निरस्त फरमाया जावें ।
4. हमने पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अप्रार्थी को ग्राम फतेहपुर तहसील रामगंजमण्डी की खसरा नम्बर 448 रकबा 1.62 हे0, भूमि कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी, किन्तु अप्रार्थी द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं करने से तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) के तहत प्रस्तुत किया है । अप्रार्थीगण बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं है तथा अप्रार्थी का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होने आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की हवहेलना है । ऐसी स्थिति में प्रार्थी तहसीलदार रामगंजमण्डी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाते है ।

जिला कलेक्टर कोटा

5. परिणामस्वरूप प्रार्थी तहसीलदार रामगंजमण्डी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) स्वीकार किया जाकर ग्राम फतेहपुर तहसील रामगंजमण्डी की आराजी खसरा नम्बर 448 रकबा 1.62 हे0 भूमि आवंटी अप्रार्थी द्वारा कब्जा काश्त नहीं कर आवंटन शर्तो की अवहेलना की जाने से आवंटन शर्तो का स्पष्ट उल्लंघन है । अतः अप्रार्थी के हक में दिनांक 27.12.1975 को किया गया कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन निरस्त किया जाकर तहसीलदार रामगंजमण्डी को आदेश दिये जाते है कि उक्त भूमि सिवायचक दर्ज करते हुए कब्जेराज लेवें ।

6. निर्णय आज दिनांक 10.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ.. रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलक्टर, कोटा

जिला कलेक्टर
कोटा